2. राज्य शासन के उक्त निर्णय के अनुसरण में निर्धारित प्रक्रिया अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (क्रेडा) के बायलॉज में आवश्यक संशोधन कर श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) के क्रेडा के सदस्य पद पर नियुक्ति बाबत् क्रेडा द्वारा कार्यवाही किया जावे.

3. आदेश के उपर्युक्त पैरा-2 के अनुसरण में संशोधित बॉयलॉज, श्री कन्हैया अग्रवाल (कवर्धा) एवं श्री विजय साहू (दुर्ग) की नियुक्ति हेतु क्रेडा की गवर्निंग बॉडी द्वारा पारित संकल्प की प्रति तथा नियुक्त सदस्यों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना इस विभाग को उपलब्ध कराई जावे.

4. क्रेडा में नियुक्त उपरोक्त सदस्यों का वेतन, दैनिक भत्ता एवं अन्य देय सुविधायें, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा राज्य शासन के मंडल/आयोग/निगम के अध्यक्ष/सदस्यों को देय सुविधाओं के संबंध में जारी वित्त निर्देश अनुसार प्रशासित रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंकित आनंद, विशेष सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-1/2020/30/सं..—राज्य शासन एतद्द्वारा अर्थाभावग्रस्त लेखकों और कलाकारों तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता देने के लिए वित्तीय सहायता योजना नियम, 1986 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियम में—

1. नियम 2 के उपनियम (दो) में विनिर्दिष्ट मासिक आय की सीमा को निम्नानुसार संशोधित किया जाए :—

(1)	परिवार के अकेले सदस्य के लिए	रु. 72000/- वार्षिक
(2)	परिवार के दो सदस्यों के लिए	रु. 1,44,000/- वार्षिक
(3)	परिवार के तीन या तीन से अधिक सदस्यों के लिए	रु. 2,16,000/- वार्षिक

2. ये संशोधन छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-02/2021/30/सं.—

देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार

प्रस्तावना :— मन एवं प्रक्रिया निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते हैं —

1. **संक्षिप्त नाम :—**

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम "देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार नियम" है.

(2) ये नियम सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में शासन द्वारा प्रकाशन दिनांक से प्रभावशील होंगे.

2. **परिभाषा :—** इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :—

अ. "नृत्य दल/संस्था" से तात्पर्य एक नृत्य दल/संस्था से है.

ब. "निर्णायक मंडल" से अभिप्राय इन नियमों के नियम-4 के अंतर्गत गठित किये जाने वाले निर्णायक मंडल (जूरी) से है.

3. **पुरस्कार का स्वरूप :—** प्रदेश की लोक शैली पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था को प्रतिवर्ष "देवदास बंजारे स्मृति पंथी नृत्य पुरस्कार" राशि रुपये 50 हजार (रुपये पचास हजार) नगद एवं प्रशस्ति पत्र के रूप में दिया जावेगा. पुरस्कार, उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था को प्रत्येक वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा चयन होने पर दिया जाएगा.

4. **निर्णायक मंडल का गठन :—** राज्य शासन, पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला क्षेत्र के प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञों/विशेषज्ञों का एक निर्णायक मंडल (जूरी), जो सामान्यतः पांच सदस्यीय होगी, का गठन करेगा :—

(1) लोक शैली पंथी नृत्य एवं आंचलिक संस्कृति क्षेत्र के पांच प्रतिष्ठित कला मर्मज्ञ/विशेषज्ञ — सदस्य

5. **निर्णायक मण्डल की शक्तियाँ :—**

(1) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा निर्णायक मंडल (जूरी) स्वविवेक से ऐसे नृत्य दल/संस्था के नाम पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह पुरस्कार के उद्देश्यों के अनुरूप पाए.

(2) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिए एक नृत्य दल/संस्था का चयन होगा.

(3) निर्णायक मंडल (जूरी) की बैठक की सम्पूर्ण कार्यवाही गोपनीय रहेगी एवं उसके द्वारा सर्वसम्मति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार-विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा.

(4) निर्णायक मण्डल की अनुशंसा पर अंतिम रूप से चयनित नृत्य दल/संस्था की घोषणा राज्य शासन द्वारा की जाएगी.

(5) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी.

(6) निर्णायक मंडल के आमंत्रित माननीय सदस्यों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा.

6. **चयन की प्रक्रिया :—** पुरस्कार के लिए पात्र नृत्य दल/संस्था के चयन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :—

(1) जिस वर्ष के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाना है उस वर्ष के लिए प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा राज्य के प्रमुख समाचार-पत्रों में राज्य शासन की ओर से विज्ञापन प्रकाशित कराया जाकर प्रविष्टियां आमंत्रित की जावेंगी. निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिए मान्य नहीं की जावेगी. विज्ञप्ति जारी करने की तिथि, समय-सीमा आदि में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तित कर सकेगा.

(2) प्रविष्टियां आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व को प्रस्तुत की जावेगी. प्रविष्टि निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जाए :—

क. नृत्य दल/संस्था का पूर्ण परिचय, पता व फोटोग्राफ.

ख. लोक शैली पंथी नृत्य पर आधारित प्रदर्शनकारी कला के क्षेत्र में किये ये कार्यों की जानकारी.

ग. यदि कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किया हो, तो उसका विवरण.

घ. लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य की जानकारी व प्रमाण पत्र एवं उत्कृष्ट कार्य करने के संबंध में प्रकाशित सामग्रियों की छायाप्रति (उपलब्धतानुसार).

ङ चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित नृत्य दल/संस्था की लिखित सहमति.

(3) **क.** चयन के लिए नियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अलावा कोई और शर्तें लागू नहीं होंगी.

ख. एक बार चयन नही होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित नृत्य दल/संस्था का कार्य दोबारा पुरस्कार हेतु विचारणीय नहीं है.

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र-व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा. इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्षकार नहीं माना जाएगा.

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में समस्त प्रविष्टियों को पंजीकृत किया जावेगा—

क्रमांक	पुरस्कार हेतु नृत्य दल/संस्था का नाम तथा पता	प्रविष्टिकर्ता का नाम पद एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य
1	2	3	4	5

(7) पंजीयन के पश्चात् आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व के द्वारा निम्नांकित शीर्षकों में प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में निर्णायक मंडल की बैठक के लिए संक्षेपिका तैयार करवायी जावेगी—

1. नृत्य दल/संस्था का नाम एवं पता
2. प्रस्तावक
3. नृत्य दल/संस्था की उपलब्धियों का संक्षिप्त ब्यौरा
4. प्राप्त पुरस्कार
5. प्रमाण पत्र/टिप्पणियां
6. पुरस्कार ग्रहण करने बाबत् सहमति है/नहीं है.

7. **चयन का मानदंड :—** पुरस्कार के लिए प्रदर्शनकारी लोक शैली पंथी नृत्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था के चयन के लिए निम्नलिखित मानदण्ड रहेंगे :—

(1) पुरस्कार के लिए निर्णायक मंडल (जूरी) द्वारा ऐसे नृत्य दल का चयन किया जावेगा जिन्होंने समर्पित भाव से लोक शैली पंथी नृत्य कला के क्षेत्र में दीर्घकालीन उत्कृष्ट सेवा की हो.

(2) निर्णायक मण्डल द्वारा भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के लोक कला कार्यों का मूल्यांकन होगा.

(3) पुरस्कार चूंकि लोक कला पंथी नृत्य के समग्र योगदान के आधार पर दिया जाएगा इसलिए लोक कला के उत्कृष्ट कार्य करने वाले नृत्य दल/संस्था द्वारा निजी स्तर पर किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना आवश्यक है.

(4) यह भी देखा जाएगा कि लोक कला पंथी के क्षेत्र में नयी पद्धति और नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है.

(5) निर्णायक मण्डल के अशासकीय सदस्य के परिवार जन उस वर्ष के पुरस्कार के लिए अपनी प्रविष्टियां प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार के निर्णायक मण्डल में व्यक्ति से संबंधित व्यक्ति सदस्य है.

8. **पुरस्कार की घोषणा :—** निर्णायक मंडल अपना निर्णय गोपनीय रुप से संस्कृति विभाग को प्रस्तुत करेगा तथा राज्य शासन द्वारा पुरस्कार के लिए चयनित नृत्य दल/संस्था की औपचारिक घोषणा की जावेगी.

9. **अलंकरण समारोह :—** पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष संचालनालय संस्कृति एवं पुरातत्व द्वारा आयोजित राज्य के स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर राज्य अलंकरण समारोह में प्रदान किया जायेगा, जिसमें भाग लेने के लिए चयनित नृत्य दल/संस्था प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जावेगा. विशेष परिस्थितियों में सम्मानित नृत्य दल अपनी सहायता के लिए केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसको उन्हीं के साथ यात्रा एवं आवास की सुविधा प्राप्त होगी. पुरस्कार प्राप्त नृत्य दल को पुरस्कार समारोह में सम्मिलित होने के लिए वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी/टैक्सी में यात्रा करने तथा यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी.

10. **व्यय की संपूर्ति :—** पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति छत्तीसगढ़ शासन द्वारा की जायेगी.

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन :—** राज्य शासन, संस्कृति विभाग को पुरस्कार नियमों में आवश्यकता अनुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा. इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधान के संबंध में सचिव, संस्कृति विभाग की व्याख्या अंतिम मानी जावेगी तथा ऐसे मामलों के निराकरण के अधिकार भी सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, संस्कृति विभाग को प्राप्त होंगे जिनका कि इन नियमों में उल्लेख नहीं है.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2021

क्रमांक एफ 4-3/2021/30/सं.— राज्य की कला एवं सांस्कृतिक परंपरा के अंतर्गत छत्तीसगढ़ अंचल के विविध लोक कलाओं नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौन्दर्यकला के कार्यशील कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन एवं कला दलों के सतत विकास हेतु "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना" के अंतर्गत कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/सम्मान/आर्थिक सहायता हेतु निम्नानुसार नियम बनाता है अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम एवं विस्तार.—**
   (1) ये नियम "मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना, 2021" कहलायेंगे.

   (2) ये नियम इसके प्रकाशन की तिथि से सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में प्रभावी होंगे.

2. **परिभाषाएं.—**
   (1) "राज्य" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य.
   (2) "शासन" से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन.
   (3) "विभाग" से अभिप्रेत है संस्कृति विभाग.
   (4) "संचालनालय" से अभिप्रेत है संचालनालय, संस्कृति एवं पुरातत्व.
   (5) "संचालक/आयुक्त" से अभिप्रेत है संचालक/आयुक्त, संस्कृति एवं पुरातत्व.
   (6) "समिति" से अभिप्रेत है इस नियम के नियम 6 के अंतर्गत गठित समिति.
   (7) "लोक कलाकार" से अभिप्रेत है नृत्य-संगीत, लोक नाट्य, लोकगाथा, छत्तीसगढ़ी गीतकार, वाद्ययंत्र वादक, शिल्प कलाकार, छत्तीसगढ़ पाक कला, छत्तीसगढ़ सौंदर्यकला.

3. **उद्देश्य.—**
   (1) राज्य के लोक कलाकारों/दलों को प्रोत्साहित करना.

   (2) प्रदेश की लोक संस्कृति और कला को जीवंत बनाने में अपना सतत योगदान देने वाले कलाकारों को यथासंभव आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

   (3) लोक कलाकारों को यथोचित प्रोत्साहन/आर्थिक सहायता की प्रक्रिया को मानक एवं पारदर्शी बनाना.

4. **आवेदन की प्रक्रिया.—**
   (1) विभागान्तर्गत समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों तथा संचालनालय के सूचना पटल, सोशल मीडिया एवं वेबसाईट www.cgculture.in के माध्यमों से सूचना प्रसारित की जाएगी.

   (2) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.